

**रेल संपत्ति (वि०वि०क०) अधिनियम के अंतर्गत माह-फरबरी- 2014  
मे पंजीकृत मामले**

माह	हल किये गये मामले	बरामद संपत्ति की कीमत	गिरफ्तार		
			बाहरी व्यक्ति	रेलकर्मी	आरपीएफ
<b>फरबरी-2014</b>	34	56340	68	01	00

**रेल संपत्ति की चोरी के मामलों का पंजीकरण विवरण माह फरबरी 2014**

माह	मामले		संपत्ति की कोमत रू. में		गिरफ्तार		
	दर्ज	हल	चोरी गई	बरामद	बाहरी व्यक्ति	रेलकर्मी	आरपीएफ
<b>फरबरी 2014</b>	34	34	48840	56340	68	01	00

**बुकशुदा संपत्ति की चोरी के मामलों का पंजीकरण विवरण माह फरबरी  
2014**

माह	मामले		संपत्ति की कोमत रू. में		गिरफ्तार		
	दर्ज	हल	चोरी गई	बरामद	बाहरी व्यक्ति	रेलकर्मी	आरपीएफ
<b>फरबरी-2014</b>	02	03	17350	23650	16	00	00

**रेल सामग्री की चोरी के मामलों का पंजीकरण विवरण माह फरबरी 2014**

माह	मामले		संपत्ति की कोमत रू. में		गिरफ्तार		
	दर्ज	हल	चोरी गई	बरामद	बाहरी व्यक्ति	रेलकर्मी	आरपीएफ
<b>फरबरी 2014</b>	32	31	31490	32690	52	01	00

**रे.सु.ब. द्वारा माह फरबरी-2014 के दौरान  
किये गये अच्छे कार्यों का ब्योरा**

- 1- दिनांक 05.02.2014 को गाड़ी संख्या 12926 पश्चिम एक्सप्रेस के रामगंजमण्डी स्टेशन से रवाना होते ही कोच नं० बी/3 में एसीपी हुई, कारण कोच अटेंडेंट प्रेम नारायण तिवारी मुख्या० बान्द्रा टर्मिनस शराब के नशे में होने पर यात्रियों से अभद्र व्यवहार किया जिस पर शिकायत किये जाने पर सुरक्षा पार्टी में तैनात प्र०आर० हरगोविन्द तिवारी द्वारा अटेंडेंट को पकड़कर रेसुब रामगंजमण्डी में अ०क० 48/2014 धारा 145 रेलवे एक्ट दिनांक 05.02.2014 कायम कर रेलवे न्यायालय कोटा में पेश करने पर 500/-रु के दण्ड से दण्डित किया।
- 2- दिनांक 05.02.2014 को स०नि/सवाईमाधोपुर रामलखन यादव ने नोट कराया कि गाड़ी सं० 12925 डा० पश्चिम एक्स० से 01 लावारिस बच्चे को यात्रियों द्वारा रे०सु०ब० सवाईमाधोपुर में सुपुर्द किया पूछताछ पर उसने अपना नाम गोपाल बताया। पुलिस थाना सुवासरा के माध्यम से उसके परिजनो को सूचना दी गई जिस पर उसके परिजन सवाईमाधोपुर आये। एस०एस० एवं जीआरपी की मौजूदगी में बच्चे को उसके परिजनो को सुपुर्द किया गया।
- 3- दिनांक 10.02.2014 को रेसुबल हबीबगंज के उपनिरीक्षक श्री एम.पी. शर्मा हमराह प्र.आर. चंदनसिंह व आर. अमरसिंह गस्त के दौरान औबेदुल्लागंज स्टेशन के सामने अंधेरे में करीबन 4-5 बाहरी व्यक्ति कुछ हरकत करते हुये संदिग्ध हालत में 03 व्यक्तियों को पकड़ लिया गया तथा 02 व्यक्ति भागने में सफल रहें। जिनसे कब्जे से बुकशुदा रेल संपत्ति गेहूं की 05 बोरीयां बरामद की गई। पकड़े गये व्यक्तियों ने औबेदुल्लागंज स्टेशन पर खड़ी मालगाड़ी से चोरी करना बताया। उनकी निशानदेही पर 02 रिसीवरों के पास से रेल संपत्ति बरामद की गई। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास मे दिनांक 12.02.14 को 02 अन्य रिसीवरों एवं 01 फरार आरोपी को गिरफ्तार किया गया उपरोक्त सभी आरोपियों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 07/14 धारा 3 ए आरपीयूपी एक्ट के तहत मामला पंजीकृत कर मामलें में कुल 20 नग गेहूं की बोरी कीमत 13250 रुपये की बरामदगी कर 08 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।
- 4- दिनांक 11.02.2014 को गाड़ी सं. 12416 अप इंटरसिटी एक्सप्रेस के कोच नं० बी/3 में तैनात टीटीई शरद शर्मा मुख्या. कोटा ने सुरक्षा पार्टी

में तैनात प्र०आर० खेमचन्द, आर० ज्योतिप्रसाद भार्मा व आर० गणेशपाल मीणा को लिखित मेमो दिया कि यात्री नाम क्रमशः 1. रवि गुंजल 2. भैरु सिंह शराब पीकर यात्री मनीश जैसल को परेशान एवं अभ्रदता कर रहे हैं। उक्त दोनो यात्रियों को सवाईमाधोपुर स्टेशन पर सउनि रामलखन यादव को यात्रियों की लिखित शिकायत के साथ सुपुर्द किया गया। सउनि रामलखन यादव द्वारा उक्त दोनो आरापियों के खिलाफ सवाईमाधोपुर अ०क्र०- 60/2014 एवं 61/2014 धारा 145 रेल अधिनियम दिनांक 11.02.2014 दर्ज कर रेलवे कैम्प कोर्ट सवाईमाधोपुर में पेश करने पर उन्हे 500-500/- रुपये के जुर्माने से दण्डित किया गया।

- 5- दिनांक 11.02.2014 को निरीक्षक/सवाईमाधोपुर द्वारा चेकिंग के दौरान गाड़ी संख्या 19024 अप के सवाईमाधोपुर स्टेशन पर ठहराव के समय यात्रियों ने बताया कि एक लड़का अपने माता-पिता को बिना बताये घर से निकलकर गाड़ी में बैठकर आया है। निरीक्षक/सवाईमाधोपुर उक्त बालक को अपने साथ सवाईमाधोपुर पोस्ट पर लेकर आये पूछताछ करने पर उसने अपना नाम सचिन निवासी- नई दिल्ली बताया तथा पिताजी द्वारा डाटने पर घर से निकलना बताया। बालक के पिता को सूचना देने पर दिनांक 12.02.2014 को सवाईमाधोपुर पोस्ट पर आये। समस्त कानूनी कार्यवाही उपरान्त दो पंचो के समक्ष उक्त बालक को उसके पिता को सुपुर्द किया गया।
- 6- दिनांक 20.02.14 को सउनि/सवाईमाधोपुर रामलखन यादव दौराने गस्त गाड़ी सं० 59812 के सवाईमाधोपुर रेलवे स्टेशन आगमन पर एक यात्री आदित्य शर्मा ने गाड़ी में मिले 11 वर्षीय बच्चों को सुपुर्द किया। जिसने अपना नाम दीपक निवासी- आगरा बताया तथा मां द्वारा पीटने के डर से घर से भागना बताया है। जिसकी सूचना उनके परिजनो को दी गई। बच्चे के पिता राजकुमार ने सवाईमाधोपुर आकर बच्चे की पहचान किया। बाद समस्त कानूनी कार्यवाही उपरांत जीआरपी के समक्ष बच्चे को सकुशल उसके पिता के सुपुर्द किया गया।
- 7- दिनांक इस माह में रेलवे सुरक्षा बल द्वारा अभियान चलाकर धूम्रपान करते हुए पाये जाने पर 316 व्यक्तियों के विरुद्ध तम्बाकु अधिनियम

(Prohibition of advertisement and regulation of trade, production, supply and distribution Act, 2003) के तहत कार्यवाही करते हुए उनसे 63,200/-रु. का जुर्माना वसूल किया गया।

रेल अधिनियम के तहत माह फरबरी-2014 में की गई कार्यवाही का विवरण :-

धारा	पंजीकृत मामले	जुर्माना रु. में
137	1571	779752
138	7402	2889614

139	00	00
141	200	137975
142	00	00
143	04	00
144	1023	498335
145	525	71150
146	04	600
147	1014	173990
153	00	00
154	09	47900
155	648	67350
156	283	30460
157	00	00
159	528	67700
160	09	7000
161	00	00
162	597	28500
163	00	00
164	00	00
165	00	00
166	00	00
167	44	4100
172	01	00
173	00	00
174	09	20000
175	00	00
176	00	00
180-जी	00	00
<b>कुल योग</b>	<b>13871</b>	<b>4824426</b>